न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 18/2022
GCMS No. : 2022/92

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
आन्नद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		श्री विरेन्द्र अरोडा पुत्र सत्यनारायण अरोडा मैसर्स वरूण एण्ड कम्पनी जर्दा बाजार कटला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23.06.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 01.01.2022 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स वरूण एण्ड कम्पनी जर्दा बाजार कटला पाली पर गया। फर्म पर अप्रार्थी उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की दुकान पर आम जन को ब्रिकी हेतु घी के 500 एमएल के 30 पैकेट रखे हुए थे, जिसमें मिलावट का शक हुआ, तब मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर रूबरू गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कर तैयार किया गया उक्त घी मे से 500 एम.एल के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु 620/–रूपये में क्रय रसीद प्राप्त की जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने चार लेबल तैयार किये जिस पर डी ओ कोड व सिरियल नम्बर, नाम, पता, वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित किये, जिसे चारो घी के नमुना पेकेट पर चिपकाया तथा लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1280 अंकित किया एवं नमूने का विवरण दर्ज कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./76/एक्ट/2022/177 दिनांक 01.02.2022 में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान से लिया गया घी Sub Standrad पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standrad घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब एवं दौराने बहस प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से घी का सेम्पल लिया है, जिसका निर्माता प्रार्थी नही है। प्रार्थी एक मात्र हॉलसेल व्यापारी है जो कि निर्माता कम्पनी से जैसे घी पेकेट में प्राप्त होता है उसी रूप में आमजन एवं खुदरा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

व्यापारियों को बेचता है। अप्रार्थी की फर्म द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नही की जाती है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से कृष्णा ब्राण्ड घी का सेम्पल लिया है जो अप्रार्थी द्वारा कामधेनु फुड इक्लवय प्रथम मण्डोर मण्डी जोधपुर से खरीदा गया है। अप्रार्थी मात्र डीलर है। घी का नमूना सब स्टेंडर्ड होने से अप्रार्थी दोषी नही है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जाने का आदेश फरमावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.01.2022 को दौराने गस्त अप्रार्थी की फर्म पर गया, वहां पर अप्रार्थी विरेन्द्र अरोड़ा उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.01.2022 को बेचाण हेतु घी के 500 एम.एल के 30 पेकेट रखे हुए थे जिसमें से 500 के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय करके उक्त क्रयशुदा घी को चारों नमूना सीलबन्द करके नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। उक्त घी के संबंध में अप्रार्थी का कहना है कि वह घी का थोक एवं खुदरा व्यापारी है निर्माता नही है। वह निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित घी का केवल बेचाण करता है। सलग्न बिल से भी यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी उक्त घी निर्माता नही है केवल विक्रेता है खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./76/एक्ट/2022/177 दिनांक 01.01.2022 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1280 को "The sample of Ghee(Krishna Brand) Agmark bearing code No and Sr No R 1353 of designated officer cum chief medical & health officer pali is Sub-standard as it is not derived exclusively form milk or products obtained from milk as it contains foreign fat(fatty acid profile of sample indicates the presence of foreign fat.) this sample also contravenes regulation No 2-3-7(2) of food safety and Standards (prohibitions and restrictions on sales) Regulations, 2011." due to presence of foreign fat. का माना इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है

परिणाम स्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub Standrad खाद्य वस्तु घी विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली